फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री रामलाल पिता अम्बालाल जाट निवासी राजपुरा तहसील रेलमगरा हॉल पंचरत्न काम्पलेक्स कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, रेलमगरा

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 44/2018**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.02.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, रेलमगरा से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा जरिये पत्रांक रीडर/सूचना का अधिकार/2018/511 दिनांक 21.01.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 के तहत दायर की गयी अपील मे प्रकट किए गये समस्त तथ्य हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा की खनन लीज संख्या 12/76 राजपुरा दरीबा खदान एवं खनन लीज संख्या 03/89 सिन्देसरखुर्द तथा सुनारियाखेडा टेलिंग डेम व मेहन्दुरिया स्मेल्टिंग एवं पांवर प्लांट की भूमियों से संबंधित है। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के तहत ग्राम सुनारियाखेडा, सिन्देसरखुर्द, राजपुरा, मकनपुरिया, शिवपुरा इत्यादि ग्रामों की चारागाह व सरकारी बिलानाम भूमियों पर हिन्दुस्तान जिंक लि0 द्वारा अतिक्रमण कर बिना अनुमति उपयोग मे लेने के विरूद्ध धारा 91 के तहत आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। संबंधित पटवारी हल्का को नियमानुसार उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार रिपोर्ट तैयार करा प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक 398–401 दिनांक 22.10.2018 को लिखा गया, जिस पर जो सूचना कार्यालय को प्राप्त हो गयी, वह सूचना आवेदनकर्ता का पुनः कार्यालय के पत्र क्रमांक 508 दिनांक 17.01.2019 के द्वारा डाक के माध्यम से सूचना भिजवायी गयी है। हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा की खनन लीजशुदा भूमियों से संबंधित सूचना खान विभाग से संबंधित होने से कार्यालय के पत्रांक 418–19 दिनांक 05.11.2018 के द्वारा अधिशाषी अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान राजसमन्द खण्ड II को लिखा जाकर	

न्यायालय जिला कलक्टर

अपीलार्थी को भी सूचना दी गयी है।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, रेलमगरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना जरिये पत्र क्रमांक 508 दिनांक 17.01.2019 को डाक के माध्यम से वांछित सूचना अपीलार्थी को भिजवायी जाने एवं बिन्दु संख्या 03 के संबंध में खनिज अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान राजसमन्द खण्ड II को लिखा जाकर अपीलार्थी को इस संबंध मे सूचित किया जा चुका है। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)